**भाकृअनुपः भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,**
**अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई (देहरादून) – 248 011**

फा0 सं0 162/5(5)/एस.सी.एफ./भंडार/एफ.पी./2019–20 दिनांकः 16.03.2021

## नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून मे फलों के बगीचों की फसल, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, की खुली नीलामी (Open Auction) **के आधार पर दिनांक 05.04.2021 को प्रातः 11–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय** में संपन्न की जायेगी :–

| क्रम सं0 | फल की फसल का नाम, प्रजाति एवं जहॉ फल स्थित है। | फलो की मात्रा (कुतंल) | फलो के पेडो की संख्या | फलों की फसल की नीलामी की अवधि | प्रत्येक ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण राषि का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **आडू (शान ऐ पंजाब) –** मछली तालाब के पास । | लगभग 4.5 कुतंल | 72 | 30 जून 2021 तक | **रू0 2,000/–** (रूपये दौ हजार मात्र) |
| 2 | **आडू (शान ऐ पंजाब) –** फोरेंज पार्क की साइट। | लगभग 3.0 कुतंल . | 51 | 30 जून 2021 तक | **रू0 2,000/–** (रूपये दौ हजार मात्र) |
| 3 | **लोकाट (गोल्डन येलो) –** फोरेंज पार्क की साइट। | लगभग 2.5 कुतंल | 19 | 30 जून 2021 तक | **रू0 500/–** (रूपये पांच सौ मात्र) |

नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

उपर्युक्त फलों के बगीचे की फसल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को **दिनांक 05–04–2021 को प्रातः 10–30 बजे से 11–00 बजे तक** अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । **पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवष्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

- प्रत्येक फल की फसल के अनुसार पंजीकरण नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो ।
- बोलीदाता के **आधार कार्ड** की प्रतिलिपी ।
- बोलीदाता के **बैंक पासबुक के प्रथम पेज जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो** की प्रतिलिपी ।
- **सफल बोलीदाता को रू0 100/– के नॉन–जुडिषियल स्टॅाप पेपर में नोटराईज्ड घोषणा प्रारूप निविदा नोटिस के साथ संलग्न है।**
- बोलीदाता के **पेन कार्ड** की प्रतिलिपी, यदि है ।
- बोलीदाता के **जी0एसी0टी0 रजिस्ट्रेषन** की प्रतिलिपी, यदि है।

1. यदि बोलीदाता द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में तथ्यों को छुपाने अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करने के तथ्य सामने आते हैं तो ठेका समय अवधि के दौरान संस्थान के सक्षम अधिकारी/निदेशक द्वारा आवंटित ठेके को निरस्त करने व ठेके से संबंधित जमा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा संबंधित ठेकेदार कानूनी कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार होगा ।
2. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात वापिस कर दिया जायेगा ।
3. नीलामी स्थल पर जिन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया जायेगा, केवल उन्ही व्यक्तियों को टोकन जारी करते हुए नीलामी समिति के समक्ष उपस्थित रहते हुए बोली लगाने का अधिकार होगा ।
4. प्रत्येक फल की फसल का नीलामी ठेके का आधार **अधिकतम बोली दर** होगी ।
5. बोली प्रकिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित विक्रय/नीलामी समिति अपनी रिर्पोट उन्हे प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात ही उन्हें नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे । **अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा ।**
6. सफल बोलीदाता को नीलामी के तुरन्त पश्चात **कुल नीलामी राषि का 25 प्रतिषत राषि संस्थान के** अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में उपलब्ध POS मशीन द्वारा अथवा डिमांड ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो को जमा करानी होगी ।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त **कुल नीलामी राषि का 10 प्रतिषत राषि** नीलामी ठेके की **धरोहर राषि (सिक्योरिटी राषि) के रूप में** उपरोक्तानुसार नीलामी राशि के साथ–साथ **नीलामी वाले दिन** 25 प्रतिशत राशि के साथ जमा करानी होगी । यह धरोहर राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के 60 दिन बाद आवंटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी । ठेकेदार द्वारा बगीचे को किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने अथवा ठेके का संचालन संतोषप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी ।
8. सफल बोलीदाता नीलामी राशि का शेष **75 प्रतिषत नीलामी के दिन से सात कार्य दिवस के भीतर** दिनांक 12.04.2021 तक अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई अथवा संस्थान मुख्यालय में POS मशीन अथवा डिमांड ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो जमा कराना होगा ।
9. सफल बोलीदाता को उपरोक्त शेष 75 प्रतिशत नीलामी राशि के साथ–साथ नीलामी ठेके का **अनुबंध पत्र रू0 100/– के नॉन–जुडिशियल स्टॉप पेपर में नोटराईज्ड** करवाकर प्रस्तुत करना होगा । इस अनुबंध पत्र का प्रारूप संस्थान द्वारा नीलामी आदेश के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।
10. निश्चित समय अवधि में उपरोक्त 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं करायी जाने तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत ना किये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता के पक्ष में छोड़ी गयी नीलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि तथा नीलामी की 25 प्रतिशत जमा करायी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें तथा संस्थान संबंधित पेड़ो के फलो की पुनः नीलामी किये जाने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
11. यदि सफल बोलीदाता नीलामी के दिन ही नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत एकमुश्त जमा कराना चाहता है तो संस्थान को यह भी स्वीकार्य होगा ।
12. सफल बोलीदाता को उपरोक्त सभी राशि तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही बगीचे में प्रवेश तथा फलों को तोड़ने की अनुमति दी जायेगी
13. बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा ।
14. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के संदर्भ में जमा करायी जाने वाली संपूर्ण राशि की व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा की जानी होगी । **किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से उक्त राषि का भुगतान/जमा कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।** यदि नीलामी ठेका अवधि के दौरान किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है तब ऐसी स्थिति में ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर लिया

जायेगा जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी कर दिया जायेगा ।

15. सफल बोलीदाता के पक्ष में नीलाम किये गये बगीचे की देख–रेख, सुरक्षा, फल तोड़ने, तोडे हुए फलों को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी। संस्थान इस सन्दर्भ में ठेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा। फलों के किसी भी प्रकार नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।
16. सफल निविदादाता द्वारा अपने कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों द्वारा यदि संस्थान के किसी भवन, पेड व अन्य सम्पति को हानि पहुंचायी जाती है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा समिति का गठन करते हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा जिसकी भरपाई ठेकेदार स्वंय को करनी होगी।

17. नीलाम किये गये फलों के बगीचे की फसल तथा पेड़ों की देख–रेख, सुरक्षा इत्यादि का कार्य संबंधित ठेकेदार का होने के कारण यदि उक्त बगीचों में किसी प्रकार की पेड़ काटने, आगजनी इत्यादि की घटना घटित होती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से घटना पर काबू पाये जाने की उचित कार्यवाही पूर्ण करते हुए घटना की सूचना तुरन्त प्रक्षेत्र प्रभारी/अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी को तत्काल दूरभाष/मोबाईल/लिखित में देनी होगी ।
18. सफल बोलीदाता को नीलामी ठेके का संचालन, फलों की तुडाई इत्यादि का कार्य **<u>स्वयं अपनी</u>** देख–रेख में ही पूर्ण करना होगा । सम्बन्धित ठेकेदार आवंटित किये गये ठेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोषित नही करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ठेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ठेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि ठेकेदार का इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ठेके से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा करायी हुयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
19. संस्थान फलों के बगीचों की नीलामी की अवधि तक उर्वरक, केमिकल, पेस्टीसाइट एवं पानी इत्यादि उपलब्ध करायेगा तथा उक्त सभी प्रकार के उर्वरक, केमिकल, पेस्टीसाइट व पानी आदि का प्रयोग इत्यादि हेतु ठेकेदार द्वारा स्वयं कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। यह कार्य ठेकेदार को प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र की अनुशंसा एवं निर्देश पर ही करना होगा ।
20. फल बगीचों में अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचरियों की देख–रेख में पूर्ण किये जायेंगें जिसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
21. ठेका संचालन में ठेकेदार द्वारा लगाये गये अपने कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की जान–माल की हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा। संस्थान इस प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा ना ही किसी प्रकार के हर्जाने के लिए जिम्मेदार होगा । अतः श्रमिक से संबंधित सभी नियमों की पालना व क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी ।
22. ठेका संचालन में संस्थान किसी भी प्रकार से कोई श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई औजार, लाठी, टॉर्च आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
23. यदि ठेकेदार बगीचें के नजदीक रात को रखवाली के लिए अथवा फलो को तोडकर रखनें के लिए अस्थायी टेटंनुमा झोपडी बनाना चाहे तो प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी को लिखित रूप से प्रार्थाना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
24. यदि ठेकेदार झोपडी में अथवा अपने दैनिक कार्य हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत क्नेकशन लेना चाहे तो उसे प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/अधीक्षक को लिखित सूचित कर मीटर रिडिंग के आधार पर निर्धारित विद्युत मूल्य अनुसार विद्युत क्नेकशन दिया जा सकता है।
25. ठेकेदार द्वारा बगीचों की पहरेदारी, निगरानी व फल आदि तोडने हेतु कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपी सत्यापित करते हुए प्रक्षेत्र अधीक्षक (Farm Superintendent)/ सुरक्षा अधिकारी को जमा करानी होगी, उक्त सूचना के अभाव में किसी भी ठेकेदार श्रमिक को फार्म प्रक्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही होगी।

26. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की  कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की  जिम्मेदारी ठेकेदार की  होगी ।
27. ठेके से संबंधित किसी भी मामले के लिए ठेकेदार केवल प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र अधीक्षक के संपर्क करेगा ।
28. जहॉ भी किसी भी बगीचा/लोकेशन में दो अथवा दो से अधिक फलों की फसलें होंगी उसकी पूरी सुरक्षा/देख–देख की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
29. ठेकेदार फलों के बगीचे से प्राप्त फसल की उपज संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार उपज के आंकलन हेतु प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र  को देंगे। सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप दस्तावेज पौध विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
30. यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में  संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा ।
31. उपरोक्त  फलों की फसल की स्थिति का आंकलन बोलीदाता को बोली लगाने से  पूर्व करते हुए तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए ही अपनी बोली  प्रस्तुत करने  का सुझााव दिया जाता है । यदि मौसम अथवा अन्य किसी कारणों से पेड़ों पर कम फल आता है अथवा फल नहीं आता है अथवा किसी अन्य कारण से फलों का नुकसान होता है  इत्यादि  की जिम्मेदारी निविदादाता  की होगी । इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की वार्ता/ कथन/ शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा ।
32. इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस  के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में उपर्युक्त फलों के बगीचों  का अवलोकन  किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के बीच  नीलामी नोटिस जारी होने की तिथि से दिनांक 03.04.2021 तक** फार्म/प्रक्षेत्र के अधीक्षक/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति/निगरानी में  कर सकते हैं ।
33. **समस्त ठेकेदार/बोलीदाता चेहरे पर मास्क/गमछा पहनकर, हाथों को सेनेटाइज कर तथा बोली के समय एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखेंगे** तथा बोलीदाता के अलावा उनके साथ आये किसी भी व्यक्ति को मुख्य द्वार से अन्दर कार्यालय/नीलामी स्थल में आने की अनुमति नही होगी।
34. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त  बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
35. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी  की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी  तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
36. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी  की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी  तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी ।
37. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
38. उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेंगे और किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखतें हैं ।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं

प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई

# <u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध पत्र श्री/मै0 ..........................................................................................(प्रथम पक्ष) एवं .भा0कृ0अनु0प0– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून (द्वितीय पक्ष) के मध्य दिनांक ...............................को उपरोक्त संस्थान द्वारा जारी नीलामी नोटिस सं0 162/5(5)/एस.सी. एफ./स्टोर/एफ.पी./2019–20 दिनांक 16.03.2021 के संदर्भ में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में स्थित इसके फलों के बगीचे की फसल की नीलामी का ठेका आवंटन के संबंध में निष्पादित किया जा रहा है।

अनुबंध की नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से है जो कि दोनों पक्षों को मान्य हैः–

1. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के संस्थान द्वारा जारी नीलामी नोटिस सं0 162 /5(5)/एस.सी.एफ./स्टोर/एफ.पी./2019–20 दिनांक 16.032021 के संदर्भ में नीलामी नोटिस के अनुसार अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के आडु/लोकाट के फलों के बगीचें की फसल को नीलामी नोटिस में दी गयी अवधि अर्थात दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि हेतु खरीदने के संदर्भ में खुली नीलामी दिनांक .................. को अपनी बोली संस्थान को प्रस्तुत की जिसे की संस्थान द्वारा नीलामी नोटिस सं0 162/5(5)/एस.सी.एफ./स्टोर/एफ.पी. /2019–20 दिनांक 16.03.2021 के अनुसार स्वीकार कर प्रथम पक्ष के पक्ष में नीलामी ठेका आवंटित कर दिया गया है।
2. प्रथम पक्ष ने उनके पक्ष में आडू/लोकाट की फसल की कुल नीलामी राशि रू0 ........./– का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में अर्थात रू0 ............/– द्वितीय पक्ष को डिमाड़ ड्राफ्ट सं0/पीओएस मशीन के माध्यम से एवं 25 प्रतिशत राशि अर्थात रू0 ................/– पीओएस मशीन के माध्यम से दिनांक ......................... को जमा करा दिये है।
3. प्रथम पक्ष ने उनके पक्ष में आडू/लोकाट की फसल की शेष 75 प्रतिशत नीलामी राशि अर्थात रू0 ............/– द्वितीय पक्ष को डिमाड़ ड्राफ्ट सं0/पीओएस मशीन के माध्यम से के माध्यम से दिनांक..................को जमा करा दिये है।

4. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को नीलामी ठेका आंवटन के संबंध में जमा करायी गयी किसी भी राशि पर ब्याज भुगतान का दावा नहीं करेगा।
5. प्रथम पक्ष द्वारा जो भी भुगतान द्वितीय पक्ष को किया गया है वह उसने अपने बैंक खाते से ही किया गया है। यदि नीलामी ठेके की अवधि में किसी भी समय द्वितीय पक्ष के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि प्रथम पक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से यह धनराशि जमा करायी गयी है तब ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दे तथा ठेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर ले जिसके लिए प्रथम पक्ष स्वंय जिम्मेवार होगा।
6. संस्थान द्वारा जारी नीलामी नोटिस सं0 162/5(5)/एस.सी.एफ./स्टोर/एफ.पी./2019–20 दिनांक 16.03.2021 में दिये गये सभी नियम एवं शर्ते इत्यादि इस अनुबंध का स्वतः ही भाग रहेंगी तथा दोनों पक्षों को मान्य होंगी। किसी भी शर्त के उल्लंधन करने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त कर दे तथा सभी धनराशि को जब्त करते हुए नुकसान की भरपाई प्रथम पक्ष से सुनिश्चित करें। प्रथम पक्ष इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष.............................................                हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष.................
...............................

हस्ताक्षर गवाह प्रथम पक्ष 1...............................................
नाम एवं पता

हस्ताक्षर गवाह प्रथम पक्ष 2................................................
नाम एवं पता